

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

गुरमी लखिडा-SPS

बनाम

हरका

126

किस्म मुकदमा

दुरुस्ती

मुकदमा नं.

7/6/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/6/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/ 287 दिनांक 7/6/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत SPS में प्रार्थीगण के नाम चक SPS की जमाबन्दी संवत् 2064-72 के खाता नं. 20 में खातेदार गुरमी लखिडा-सोहन सिंह सोहन लखिडा के द्वारा अंकित है। जिसका नाम सोहन लखिडा है। जिसकी गुरमी लखिडा-सोहन लखिडा की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 7/6/18 की पृष्ठ नजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक SPS के खाता नं. 20 में दर्ज खातेदार गुरमी लखिडा-सोहन लखिडा के खातेदार गुरमी लखिडा-सोहन लखिडा की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उप जिला कलक्टर  
राजस्व लोक अदालत  
रायसिंहनगर  
न्याय आपके द्वार-2018  
कैम्प कोर्ट SPS  
सप्लवाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर